न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, खीरी।

मु0फौ0सं0–48 / 2021

सी0एन0आर0नं0–यू0पी0एल0पी010000113–2021

सरकार बनाम रामसरन आदि।

अपराध सं0–354 / 2019
धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0
थाना–मोहम्मदी, जिला–खीरी।

23.09.2022

अभियुक्त रचित कुमार वर्मा पुत्र रामसिंह नि0 पिपरिया कप्तान, थाना मोहम्मदी खीरी की ओर से अपराध सं0–354 / 2019 धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना मोहम्मदी, जिला–खीरी के प्रकरण में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। गॉव की पार्टीबन्दी के कारण उसे झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। उसने कोई मारपीट, गाली–गलौज या जान से मारने की धमकी नहीं दी है। वह अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत की सुविधा का दुरुपयोग नहीं करेगा। न्यायालय से अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध को अजमानतीय बताते हुए जमानत का विरोध किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से दर्शित है कि अभियुक्त उक्त अपराध में आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त पर मारपीट करने, गाली–गलौज देने तथा जान से मारने की धमकी देने का अभियोग है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा मु0 20,000 (बीस हजार) रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(रुचि श्रीवास्तव)
यू0पी02193
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी, खीरी।
23.09.2022